20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2019 निगरानी

निगरानी-232/2019/टीकमगढ़/भू.रा.

श्री टी.एम. नरवरिया, वी.के. तिवारी द्वारा आज दि० 31-1-19 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-2-19 नियत।

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 31-1-19

31-1-19

अन्दुल समद खॉ पुत्र श्री छोटे खॉ, आयु 74 साल, व्यवसाय– सेवानिवृत्त, निवासी प्रधानपुरा टीकमगढ, तहसील व जिला टीकमगढ (म.प्र.)

—— आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

—— अनावेदक

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व सहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 12.03.2018 प्रकरण कमांक 224/2015–16/अ–68/अपील पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर म0प्र0

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है।

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकाकर है कि ग्राम नारगुडाखास के हल्का पटवारी द्वारा अनावेदक के समक्ष एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम प्रधानपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 272/1 के रकवा 60 बाई 80 वर्गफुट पर आवेदक द्वारा नींव खोदकर अतिकमण किया जा रहा है। हल्का पटवारी के उक्त शिकायती आवेदन पर अनावेदक द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र आवेदक को प्रेषित किया, जिस पर आवेदक द्वारा उक्त सूचना पत्र का जबाव प्रेषित किया जाकर स्पष्टीकरण दिया कि आवेदक द्वारा उक्त आराजी या उसके किसी अंश भाग पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। चूंकि आवेदक के पुत्र अब्दुल हलीम खॉ एवं अब्दुल अजीम खॉ को ग्राम पंचायत नारगुडा के द्वारा विधिवत रूप से 40 x 40 एवं 40 x 40 वर्गफुट के दो भू–खण्ड भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाने हेतु आबादी क्षेत्र में दिये गये थे, जिसके आधार पर आवेदक के उक्त दोनों पुत्रों द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त पट्टे के आधार पर निवास हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे आवेदक का कोई संबंध नहीं है।

कार्यालय महाधिवक्ता राजस्व मण्डल
अग्रिम प्रति 40
पृष्ठ संख्या 01 से 12

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग-232/2019/टीकमगढ़/राजस्व जिला- टीकमगढ़

अब्दुल समद खॉ विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-05-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से श्री पी.के. तिवारी अभिभाषक उपस्थित। उन्हें कायमी के बिन्दु पर सुना गया। 2. प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 324/अ-68/2015-16 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 12-03-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत दिनांक 31-01-2019 को प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुये नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत अपर आयुक्त के द्वारा व्दितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.के. जैन) सदस्य	